फैक्ट शीट

1. परियोजना का नाम – मसूरी सीवेरज योजना

2. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में) –

संरक्षित/आरक्षित वन भूमि	–	
वन स्वरूप वन भूमि	–	0.594405 है०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	–	–
वन पंचायत भूमि	–	–
निजी भूमि	–	–
योग	–	0.594405 है०

3. प्रस्तावक विभाग नाम – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी।

4. वन प्रभाग का नाम – वन प्रभाग, मसूरी।

5. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है – हाँ/नही

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हाँ/नही

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है – हाँ/नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हाँ/नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों का संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है– हाँ/नहीं लागू नहीं।

11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय परीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है– (वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं) लागू नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है– लागू नहीं। वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं है।

13. प्रभावित किये जाने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटें जाने वाले वृक्षों की संख्या में भिन्नता – हाँ/नही वृक्षों का पातन निहित नहीं है

14. क्या वृक्षो की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता – प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है– हाँ/नहीं लागू नही

16. क्या मानचित्र के क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है– हाँ/नहीं लागू नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है–	हाँ/नहीं.लागू नही
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के सरंक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है–	हाँ/नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कॉरीडोर का हिस्सा है– यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ/नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है–	हाँ/नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे किया जाना है–(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	लागू नहीं
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रगों से भरा गया है।	हाँ/नहीं
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	लागू नहीं
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन हुआ है–	हाँ/नहीं
25. यदि उल्लघंन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।	हाँ/नही
26. योजना/निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाऐ/वैकल्पिक रामरेखण मानचित्र पर दर्शाये है।	लागू नही.
27. वैकल्पिक रामरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	लागू नहीं
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)	आवश्यकता नहीं
29. मानचित्र के बार–चार्ट में एकरूपता है–	हाँ/नही
30. मलबे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है–अथवा मलबे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ/नहीं
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तो का प्रमाण पत्र संलग्न है।	हाँ/नही
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल रूप से संलग्न है। यदि छायाप्रतियॉ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है–	हाँ/नही

33. यदि वन–भूमि लीज पर ली जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है– हाँ / नहीं

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है– हाँ / नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है– हाँ / नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है– हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनाऐं संलग्न कर दी गई हैं।

प्रस्तावक विभाग / प्रभाग

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी